

कार्यालय:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

::- विविध आदेश :-

क्रमांक 9 / परिपत्र / 2020

रीवा, दिनांक 26/03/2020

माननीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर पत्र क्यू-5, दिनांक 25.03.2020 के अनुक्रम में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:-

1. दिनांक 14.04.2020 तक जिला रीवा में स्थित किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्य नहीं होगा और न्यायालय बन्द रहेंगे इस अवधि में केवल अतिआवश्यक मामले (जमानत आवेदन, रिमाण्ड आदि) की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निश्चित किये गये समय व स्थान पर नामित न्यायिक अधिकारी द्वारा की जावेगी।
2. अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई जिला न्यायाधीश की अनुमति से ही की जावेगी और ऐसी अनुमति प्राप्त करने वाले अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को ही न्यायालय भवन में प्रवेश दिया जावेगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा से इस बाबत अनुमति कोर्ट मैनेजर श्री श्रीकान्त नागर की ई-मेल आई डी shrikant.nagar@gmail.com पर प्राप्त की जा सकेगी। अधिवक्ता/पक्षकार द्वारा उक्त ईमेल आईडी पर प्रकरण से संबंधित समस्त विवरण एवं शीघ्र सुनवाई का कारण का उल्लेख किया जाना होगा। जिन अधिवक्तागण व पक्षकारों को अनुमति दी गई है उनकी सूची जिला न्यायालय भवन के मुख्य प्रवेश द्वार के दृश्य भाग पर चस्पा की जावेगी। इसी प्रकार की सूची तहसील न्यायालयों के मुख्य द्वार के दृश्य भाग पर चस्पा होगी।
3. आरक्षी केंद्रों से रिमाण्ड कार्यवाही हेतु/जमानत आवेदन पत्रों में केस डायरी लेकर पुलिस अधिकारी/कर्मचारी आरक्षकों को न्यायालय भवन में प्रवेश दिया जावेगा।
4. अति आवश्यक कार्य की सुनवाई मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी से संबंधित मामलों में जिला न्यायालय भवन के कक्ष क्रमांक-4 श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, के न्यायालय में की जावेगी तथा सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय से संबंधित मामलों की सुनवाई न्यायालय भवन के कक्ष क्रमांक-9 श्री विपिन कुमार लवानिया, के न्यायालय में दिन 4 बजे से 5 बजे तक की जावेगी। रिमाण्ड संबंधी मामलों में एवं अति आवश्यक कार्य संबंधी मामलों में बंदीगण/पक्षकार/अधिवक्तागण जिला न्यायालय भवन के कक्ष क्रमांक-38 श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, के न्यायालय में उपस्थित होंगे और इस तरह उपरोक्त कक्षों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जोड़कर कार्यवाही संपादित की जावेगी। तहसील न्यायालयों में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय कक्ष का चयन कर अपनी सुविधा अनुसार तत्संबंध में उपरोक्त निर्देश देंगे। सिस्टम आफ़ीसर/सिस्टम असिस्टेंट/आई.टी. असिस्टेंट/सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को निर्देशित किया जाता है कि वह आज ही तत्संबंध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की कार्यवाही की तैयारी पूर्ण कर जिला न्यायाधीश रीवा को सूचित करें। यदि किसी कारणवश तकनीकी खराबी इत्यादि से वीडियो कान्फ्रेंसिंग बाधित होती है या प्रारंभ नहीं हो पाती है तब पीठासीन अधिकारी अपने स्वविवेक से अन्य प्रकार से जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र क्यू-5 में लेख किया गया है, कार्य का संपादन करेंगे।
5. अति आवश्यक कार्य हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सूची पृथक से जारी की जा रही है। रिमाण्ड संबंधी व जमानत संबंधी मामलों के लिये मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रीवा को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 26.03.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक की रिमाण्ड ड्यूटी जिला व तहसील न्यायालयों की जारी करें। न्यायिक अधिकारीगण की उक्त सूची न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण के ग्रुप वाट्सअप ग्रुप पर पोस्ट कर दी जावेगी। संबंधित पीठासीन अधिकारी अपने स्वविवेक से अतिआवश्यक कार्य हेतु अपने न्यायालय के अधीनस्थ कर्मचारियों को उपस्थित होने हेतु निर्देशित कर सकेंगे किन्तु यह ध्यान रखेंगे कि इनकी संख्या कम से कम हो।
6. अति आवश्यक कार्य हेतु कक्ष क्रमांक-38 श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में प्रवेश करते समय समस्त पक्षकारगण व अधिवक्तागण कोरोना वायरस के संबंध में दिये गये निर्देश का कड़ाई से पालन करेंगे जिसमें मुख्य रूप से सेनेटाइजर/हैण्डवॉश से हाथ धोकर ही न्यायालय कक्ष में प्रवेश करेंगे। यह ध्यान रखा जावेगा कि परस्पर कम से कम डेढ़ मीटर की दूरी बनी रहे। न्यायालय के कक्ष क्रमांक 38, 4 व 9 एवं तहसील न्यायालय के कक्षों को सुनवाई से पूर्व अच्छी तरह से उनकी सफाई की जावेगी। तत्संबंध में जिला नाजिर/नायब नाजिर को निर्देशित किया जावे।

7. अति आवश्यक कार्य के समय व अन्य समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या जानकारी के संबंध में क्वेरी की जानी है तब संबंधित पीठासीन अधिकारी जिला न्यायाधीश रीवा से मोबाइल पर निर्देश प्राप्त कर सकेंगे। समस्त न्यायाधीशगण एवं कर्मचारीगण अपने अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे एवं अपने मोबाइल फोन निरन्तर चालू रखेंगे। सूचित किये जाने पर तत्काल आदेशानुसार उपस्थित उन्हें होना होगा।
8. दिनांक 31.03.2020 तक न्यायालयों में लंबित प्रकरण की आगामी तिथि से सूचित कराया जा चुका है। दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक नियत प्रकरणों की आगामी तिथि की सूचना पृथक से दी जावेगी।
9. विविध आदेश की यह हार्ड कापी नियमानुसार तत्काल संबंधित को प्रेषित की जावेगी किन्तु उसके पूर्व ईमेल आईडी/वेबसाइट/वाट्सअप/दूरभाष/मोबाइल द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जावेगा। तत्संबंध में श्री श्रीकान्त नागर, कोर्ट मैनेजर, श्री पीयूष द्विवेदी, कम्प्यूटर आपरेटर एवं गौरव द्विवेदी, सहायक ग्रेड-3, को अधिकृत किया जाता है। विविध आदेश की प्रति जिला न्यायालय तहसील न्यायालय के मुख्य द्वारों पर चस्पा की जावे।

यथानिर्देशित उपरोक्तानुसार विविध आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश के अपालन/उल्लंघन करने की दशा में इसे गंभीरता से लिया जावेगा।

पृष्ठा. क्रमांक 1298 / परिपत्र / 2020
प्रतिलिपि,

देव जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0
रीवा, दिनांक 26 / 03 / 2020

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
02. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा।
03. न्यायालय/प्रभारी अधिकारी.....
रीवा/मउगंज/सिरमौर/त्योथर/हनुमना/मनगंवा।
04. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, रीवा/मउगंज/सिरमौर/त्योथर/हनुमना/मनगंवा।
05. जिला दण्डाधिकारी, रीवा।
06. पुलिस महानिरीक्षक रीवा/पुलिस अधीक्षक, रीवा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करें कि निर्धारित समय में ही केस डायरी/रिमाण्ड आदि प्रस्तुत किये जावे।
07. प्रभारी अधिकारी/सिस्टम अधिकारी/जिला व तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करते हुये वीडियो कान्फ्रेंसिंग की व्यवस्था नियत समय में करना सुनिश्चित करें।
08. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय व तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस को चस्पा करावें तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के संबंधित कक्षों की उचित सफाई एवं पक्षकारों/बंदियों/पुलिस कर्मचारीगण/ अधिवक्तागण के कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व सेनेटाईजर/हैंडवॉश से हाथ धुलवाये जाने व परस्पर दूरी बनाये रखने के निर्देश के पालन सुनिश्चित किया जावे।
09. लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

देव जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0

कार्यालय:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

::- विविध आदेश :-

क्रमांक  /परिपत्र/ 2020

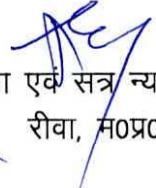
रीवा, दिनांक 26/03/2020

माननीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर पत्र क्यू-5, दिनांक 25.03.2020 के अनुक्रम में अति आवश्यक कार्य हेतु जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ड्यूटी दिन 04 बजे से 05 बजे के मध्य निम्नानुसार नियत की जाती है:-

क्र.	पीठासीन अधिकारी का नाम एवं पद	दिनांक	नियत स्थान
01	श्री आसिफ अब्दुल्लाह, एडीजे	26.03.2020	न्यायालय कक्ष क्रमांक 09
02	श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा	27.03.2020	न्यायालय कक्ष क्रमांक 09
03	श्री मुकेश कुमार यादव, एडीजे	28.03.2020	न्यायालय कक्ष क्रमांक 09
04	श्री उपेन्द्र देशवाल, एडीजे	30.03.2020	न्यायालय कक्ष क्रमांक 09
05	सुश्री महिमा कछवाहा, एडीजे	31.03.2020	न्यायालय कक्ष क्रमांक 09
06	श्री संजीव रिंघल, एडीजे	01.04.2020	न्यायालय कक्ष क्रमांक 09
07	श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, एडीजे	03.04.2020	न्यायालय कक्ष क्रमांक 09
08	श्री सुधीर सिंह राठौड़, एडीजे,	04.04.2020	न्यायालय कक्ष क्रमांक 09
09	श्री विपिन कुमार लवानिया, एडीजे,	07.04.2020	न्यायालय कक्ष क्रमांक 09
10	श्री गिरीश दीक्षित, एडीजे	08.04.2020	न्यायालय कक्ष क्रमांक 09
11	श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, एडीजे	11.04.2020	न्यायालय कक्ष क्रमांक 09
12	श्री आसिफ अब्दुल्लाह, एडीजे	13.04.2020	न्यायालय कक्ष क्रमांक 09
13	श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा	14.04.2020	न्यायालय कक्ष क्रमांक 09

नोट:-

1. जिला न्यायालय रीवा में पदस्थ श्री तजिन्दर सिंह अजमानी, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उक्त तिथियों में एन.डी.पी.एस. से संबंधित जमानत संबंधी व अन्य अति आवश्यक कार्य का संपादन कार्य के प्रस्तुत होने पर उनके स्वयं के न्यायालय में उक्त समय उपस्थित होकर करेंगे। इस परिस्थिति में श्री तजिन्दर सिंह अजमानी, को तत्काल सूचित किया जावेगा साथ ही उनके न्यायालय को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जोड़ा जावेगा। इस हेतु वह समस्त निर्देश जो उनके कक्ष की साफ सफाई के संबंध में है वह लागू होंगे जो कि विविध आदेश दिनांक 26.03.2020 में वर्णित है।
2. तहसील न्यायालय में पदस्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण आपस में सामंजस्य कर उपरोक्तानुसार तिथियों व समय पर अति आवश्यक कार्य का निर्वहन करेंगे तत्संबंध में वह जिला न्यायाधीश को सूचित करेंगे। यदि कोई जिला न्यायालय/तहसील न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश अति आवश्यक कार्य में किसी अपरिहार्य कारण से उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह तत्काल जिला न्यायाधीश को सूचित करेगा। तदुपरांत जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार कार्य संपादित किया जावेगा।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0